

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 07-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
864	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.62) दि. 07-12-2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	भोपाल संभाग में सिंगल सुपर फास्फेट उत्पादन कंपनियों की गुणवत्त की जांच एवं जांच उपरांत दोषी कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	जब कोई उसकी सैम्पलिंग में त्रुटि होती है तो कार्यवाही होती है। हम कम्पनी को लिखेंगे।		
865	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.39) दि. 07-12-2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कटनी कृषि उपज मण्डी में वर्तमान में पदस्थ श्री राजेश गोयल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	14 शिकायतों पर विशेष जांच दल गठित कर प्रारंभिक जांच कराई जा रही है तथा शेष 10 शिकायतें प्रारंभिक जांच हेतु उप संचालक आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड जबलपुर को सौंपी गई है।		
866	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.354) दि. 07-12-2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले में बीज वितरण/उत्पादन अनुदान का भुगतान किये जाने में नियमों की अवहेलना किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	जांच कर गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
867	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.96) दि. 07-12-2015 (श्रीमती ममता मीना)	कृषि उपज मण्डी समिति गुना के तत्कालीन सचिव श्री आर.आर.पचौरी द्वारा जारी किये गये लायसेन्सों की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	शेष के संदर्भ में उत्तर प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।		
868	तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.177) दि. 07-12-2015 (श्री संजय पाठक)	उप संचालक कृषि कटनी में जैविक खेती वर्ष 2013-14 में वर्मी कम्पोस्टिंग (वर्मी खाद) की फर्जी खरीदी के संबंध में की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) जांच प्रक्रियाधीन है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सूक्ष्म परीक्षण एवं गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (2) जांच प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
869	अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.42) दि. 07-12-2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में प्राप्त शिकायतों की जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	जांच उपरांत कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।		
870	अतारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.117) दि. 07-12-2015 (श्री नारायण सिंह पँवार)	कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा जिला राजगढ़ में मृदा परीक्षण प्रयोग शाला में तकनीकी अमले की पदस्थापना किया जाना।	जी हां।		
871	अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.184) दि. 07-12-2015 (श्री संजय पाठक)	श्री जे.आर.हेडाऊ, उप संचालक हरदा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच व जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) जांच प्रक्रियाधीन है। (2) विभागीय जांच में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक: 07-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
872	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.310) दि. 07-12-2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले में लीड संस्था राजेन्द्रग्राम के प्रभारी श्री रामयज्ञ शर्मा को संस्था से हटाये जाने एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शहडोल को लीड संस्था प्रबंधक राजेन्द्र ग्राम को पद से हटाने हेतु लिखा गया है । उनके द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की जाएगी ।		
873	अतारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.84) दि. 07-12-2015 (कुँवर सौरभ सिंह)	हिन्द एनर्जी वेयर हाऊस कटनी को अनियमित लाभ पहुंचाने की क्षेत्रीय प्रबंधक रीवा द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 07-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
874	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.106) दि. 07-12-2015 (श्री नारायण सिंह पँवार)	(1) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बी.आर.जी.एफ. योजना के लंबित निर्माण कार्यों का निराकरण किया जाना। (2) प्रस्तावित पुल-पुलियों का निर्माण कार्य कराया जाना।	(1) जो काम अधूरे हैं या जो कार्य जिला योजना समिति से स्वीकृत हो गये थे और यहां आ गये थे, उन सारे कार्यों के लिये हम 14वें वित्त आयोग की राशि से भी उनको स्वीकृत करा लेंगे, करेंगे उन कार्यों को जो माननीय विधायक महोदय ने कहा है, उन कामों का परीक्षण करके जितना भी संभव हो सकता होगा वह काम करेंगे। (2) हम परीक्षण कर लेंगे और जो कुछ भी उचित होगा माननीय विधायक महोदय के अनुसार उसको कर देंगे।		
875	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.964) दि. 07-12-2015 (श्री सचिन यादव)	(1) खरगौन जिले की कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों की जांच एवं शेष निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना। (2) रोडिया से छिरवा की जीर्ण-क्षीर्ण सड़क का मरम्मत कराया जाना।	(1) एक कार्य अपूर्ण है, जिसकी लागत 02 करोड़ 69 लाख है। यह कार्य भी वर्किंग आर्डर में है और एक-दो महीने के अंदर यह कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा और जहां तक कार्य की गुणवत्ता का प्रश्न है, आप सड़क विशेष का लिखकर दे दें तो हम उसकी जांच करवा लेंगे। (2) किस वर्ष का है, उसकी गारंटी पूरी हो गई होगी तो हम करवा देंगे।		
876	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्रं.442) दि. 07-12-2015 (श्री सतीश मालवीय)	जनपद पंचायत घट्टिया जिला उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शौचालय निर्माण के प्रस्तुत मांग पत्र की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रक्रियाधीन है। जांच में दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
877	अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.168) दि. 07-12-2015 (श्री दिनेश राय)	सिवनी जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा बिना शौचालय निर्माण किये राशि आहरित कर दुरुपयोग किये जाने की जांच एवं आहरित राशि की वसूली की जाना।	(1) 70 शौचालयों की राशि रूपये 259670.00 की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। (2) ग्राम पंचायत बकौडी के सरपंच/सचिव के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय दण्डाधिकारी (ग्रामीण) सिवनी के कार्यालय में प्रचलित है।		
878	अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.363) दि. 07-12-2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले के जनपद पंचायत मऊगंज के ग्राम पंचायत बरहटा में अपूर्ण नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाना।	जिला स्तर से स्थल निरीक्षण कराया जाकर कार्य पूर्णता के संबंध में समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।		
879	अतारांकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्रं.403) दि. 07-12-2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले में जनपद पंचायत रौन की वर्ष 2012 से दिसम्बर 2014 तक की अवधि में ग्राम पंचायत अचलपुरा के सरपंच/सचिव द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने एवं बिना कार्य कराये आहरित की गई राशि की वसूली की जाना।	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लहार में प्रकरण का निराकरण होने पर वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।		
880	अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.479) दि. 07-12-2015 (श्री हर्ष यादव)	(1) रायसेन जिले में वर्ष 2013-13 में तत्कालीन लेखा अधिकारी (मनरेगा) द्वारा फर्जी यात्रा देयक एवं फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। (2) वर्ष 2012-13 में रायसेन जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत लंबित मजदूरी का दोहरा भुगतान किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जांच की कार्यवाही प्रचलित है। (2) शेष जनपद पंचायतों की जांच कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

परिवहन विभाग

दिनांक: 07-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
881	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.162) दि. 07-12-2015 (श्री दिनेश राय)	खवासा चैक पोस्ट एवं सेल्स टेक्स जांच चौकी पर अवैध वसूली के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 04.11.2015 को की गई शिकायत में लिखित तथ्यों की जांच कर, जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) माननीय विधायक जी से प्राप्त शिकायत पत्र दिनांक 04.11.2015 पर जांच की कार्यवाही की जा रही है । (2) जांच उपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।		
882	अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.269) दि. 07-12-2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	सिंहस्थ 2016 के लिए उज्जैन से महिदपुर मार्ग पर सिटी बस का संचालन किया जाना।	उक्त मार्ग पर बस संचालन की कार्यवाही प्रचलित है । शीघ्र बस का संचालन प्रारंभ कर दिया जावेगा।		

मध्ययप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 07-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
883	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.196) दि. 07-12-2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	प्रदेश में सरकारी योजनाओं में मजदूरो को ई-पेमेन्ट की व्यवस्था में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर किया जाना ।	(1) उस व्यवहारिक दिक्कत के समाधान के लिए हम विचार करके फैसला लेंगे । (2) हम सब सदन के माननीय सदस्यों से विचार करके इस पर फैसला लेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग

दिनांक: 07-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
884	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.476) दि. 07-12-2015 (श्री हर्ष यादव)	भोपाल एवं सागर संभाग में उपायुक्त सहकारिता के यहां लंबित गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर संबंधितों/दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	जी हां, शिकायतें जांचाधीन है, शेष कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन।		
885	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1) दि. 07-12-2015 (श्री रामनिवास रावत)	वर्ष 2015-16 में प्रदेश के सूखे से प्रभावित जिलों के किसानों द्वारा लिये गये लघु अवधि ऋण को मध्यम एवं दीर्घ अवधि ऋण में परिवर्तित किया जाना।	खरीफ 2015 (वर्ष 2015-16) के ऋण परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
886	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.194) दि. 07-12-2015 (श्री विश्वास सारंग)	वृहताकार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जामगढ़, जिला रायसेन में गबन की गई राशि की वसूली एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब करने में लापरवाही किये जाने की जांच एवं गबन राशि जमा न होने की स्थिति के कारण संबंधित दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना।	(1) शेष वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब करने में लापरवाही किये जाने के संबंध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग भोपाल से जांच कराई जा रही है। शेष प्रश्न जांच के निष्कर्षाधीन है। (2) राशि जमा न होने की स्थिति में एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने के निर्देश बैंक द्वारा दिये गये है।		
887	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.407) दि. 07-12-2015 (श्री मधु भगत)	ता.प्र.संख्या-9 (क्र.510) दि.20 जुलाई 2015 के संदर्भ में जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
888	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्रं.415) दि. 07-12-2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	बैतूल जिले की घोडाडोंगरी खंड की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का संशोधन मापदण्ड अनुसार पुनर्गठन किया जाना ।	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन के मापदंड में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
889	अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.204) दि. 07-12-2015 (श्री विश्वास सारंग)	वृहताकार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जामगढ़, जिला रायसेन द्वारा खरीदे गये गेहूं में तुलाई, बारदाना एवं अन्य मदों में नियम से ज्यादा व्यय किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) व्ययों के संबंध में जांच के निर्देश दिये गये है, कार्रवाई जांच निष्कर्षों के अधीन । (2) जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अधीन कार्रवाई की जावेगी ।		
890	अतारांकित प्रश्न सं.28 (प्रश्न क्रं.306) दि. 07-12-2015 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	(1) रीवा जिले के जिला सहकारी बैंक, डभौरा एवं अन्य सहकारी बैंकों की शाखाओं में घोटाले की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना । (2) दोषी अधिकारियों के साथ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्षों की भूमि की जांच कराई जाना ।	(1) पुलिस/सी.आई.डी. द्वारा विवेचना/ जांच की जा रही है । (2) जांच आदेशित की गई है । शेष जांच निष्कर्षाधीन है ।		
891	अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.366) दि. 07-12-2015 (श्री चम्पालाल देवडा)	(1) जिला सहकारी बैंक रायसेन द्वारा किसानों को डी.ए.पी./यूरिया की आपूर्ति नहीं किये जाने के संबंध में जन प्रतिनिधि द्वारा लिखे गये पत्रों के अनुसार कार्यवाही किया जाना । (2) रायसेन जिले में सेल्समेन/समिति प्रबंधकों द्वारा स्वाधान-केरोसिन तेल वितरण की राशि जमा न करने की जांच एवं राशि की वसूली तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) पत्र में की गई अपेक्षा अनुसार बैंक द्वारा कार्यवाही की जा रही है । (2) दोषी सेल्समेन/समिति प्रबंधकों को महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन द्वारा नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।		
892	अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.744) दि. 07-12-2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर स्थित नागरिक सहकारी बैंक सनदी लेखापाल(चार्टर्ड एकाउटेन्ट) के विरुद्ध निर्देशों के अपालन की जांच पर कार्यवाही की जाना ।	फर्म पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । प्राप्त उत्तर के आधार पर संज्ञान में आने वाले तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जायेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

दिनांक: 07-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
893	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.297) दि. 07-12-2015 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा जिले की जनपद पंचायतों में वर्ष 2013-14 में स्वीकृत इंदिरा गांधी वृद्धा, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निशक्त पेंशन, बहु विकलांग पेंशन एवं कन्या अभिभावक पेंशन के हितग्राहियों को समय-सीमा में भुगतान नहीं करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	समय पर पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।		
894	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.31 (प्रश्न क्रं.654) दि. 07-12-2015 (श्री कुँवरजी कोठार)	राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर में साधिकार अभियान के तहत चिन्हांकित हितग्राही मूलक योजना के पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभांवित किया जाना।	1437 हितग्राही पात्र पाये गये हैं, जिन्हें 15 दिवस के अंदर लाभांवित किया जायेगा।		